



भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण  
INSURANCE REGULATORY AND  
DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

आईआरडीए / बीआरके / एमआईएससी / सीआईआर / 172/07/2017  
IRDA/BRK/MISC/CIR/172/07/2017

24 जुलाई, 2017  
24<sup>th</sup> July, 2017

परिपत्र CIRCULAR

सेवा में To,

सभी बीमा ब्रोकिंग कंपनियां All Insurance Broking Companies.

**विषय : बिज़नेस एनालिटिक्स प्रोजेक्ट मॉड्यूल (बीएपी मॉड्यूल) में उचित आँकड़े दाखिल करना।**

**Sub: Filing of appropriate data in the Business Analytics Project module (BAP module).**

प्राधिकरण आपका ध्यान परिपत्र संख्या. आईआरडीए / ब्रोकर / एमआईएससी / सीआईआर / 232/10/2014 दिनांकित 21 अक्टूबर, 2014 की ओर आकर्षित करता है जो बिज़नेस एनालिटिक्स प्रोजेक्ट मॉड्यूल (बीएपी मॉड्यूल) के माध्यम से रिटर्न दाखिल करने के लिए है।

यह देखा गया है कि बीएपी मॉड्यूल के माध्यम से जमा किए गए कुछ बीमा ब्रोकरों के आँकड़े, वैधानिक रिटर्न के साथ मेल नहीं खा रहे हैं, जैसे प्राधिकरण को प्रस्तुत बैलेंस शीट, लाभ-हानि लेखा, नकदी प्रवाह विवरणी आदि।

इसे देखते हुए, प्राधिकरण आपको बीएपी मॉड्यूल के माध्यम से प्रस्तुत किए गए विवरण के पुर्नलोकन और पुनरीक्षण की सलाह देता है। किसी भी विसंगति के स्थिति में, आप कारण सहित पूर्ण विवरण को सुधार हेतु [BROKERS@IRDA.GOV.IN](mailto:BROKERS@IRDA.GOV.IN) को ई-मेल लिख सकते हैं।

कृपया अगले 30 दिनों में प्राधिकरण की सलाह का अनुपालन सुनिश्चित करें।

इसके अलावा, प्राधिकरण सभी बीमा दलालों को तत्काल बीएपी में आवश्यक रिटर्न दाखिल करने की सलाह देता है। इसके आगे, ऑनलाइन रिटर्न को दाखिल करने में विलम्ब और बीएपी में गलत आँकड़ों की प्रस्तुति को गंभीरता से लिया जाएगा।

The Authority draws your kind attention at circular No. IRDA/BROKER/MISC/CIR/232/10/2014 dated 21<sup>st</sup> October, 2014 for Filing of returns through Business Analytics Project module (BAP module).

It has been observed that the data of some of the insurance brokers, submitted through BAP module, are not tallying with the statutory returns, viz. Balance sheet, profit and loss account, cash flow statement etc., submitted to the Authority.

In view of this, the Authority advises you to revisit and recheck the returns submitted through BAP module. In case of any discrepancy, you can write an e-mail at [BROKERS@IRDA.GOV.IN](mailto:BROKERS@IRDA.GOV.IN) for making correction with complete details of the same along with reasons.

Kindly ensure compliance of the Authority's advice over the next 30 days.

Further, the Authority advises all the insurance brokers to file necessary returns in BAP immediately. Going forward, the late filing of online returns and incorrect data submission in BAP will be viewed seriously.

(रणदीप सिंह जगपाल / Randip Singh Jagpal)

मुख्य महाप्रबंधक (मध्यवर्ती) / Chief General Manager (Intermediaries)